MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

New Delhi, the 6th July, 2010

G. S. R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Jan Shikshan Sansthan, (Director) Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Jan Sikshan Sansthan, (Director) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Jan Shikshan Sansthan, (Director) Recruitment Rules, 2007, for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"1 (one) year".

[F. No. 36-07/2005-A.E.6/1]

K. C. MEENA, Under Secy.

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section(i) dated 15th December, 2007 vide number G.S.R. 278, dated the 15th November, 2007.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ढई) [illegible] नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया [illegible]ल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम [illegible], अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बढ़ई समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बढ़ई	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + श्रेणी वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण : 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण : 2** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि; यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता-	नहीं	दो वर्ष

(8)
प्राप्त संस्थान से बढ़ईगिरी का प्रमाणपत्र साथ ही सरकारी में या मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/16/2009-सीजीडब्ल्यू बी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 30th July, 2010

G. S. R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Carpenter) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Carpenter, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule Annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit of direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Carpenter	01*(2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the clsoing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2** : In the case of recruitment made through the Employment Exchange,

(7)
the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognised Board and certificate in carpentary from Industrial Training Institute or a recognised Institute with three years working experience in the Government or recognised institute.	No	Two years

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, for confirmation consisting of :— (i) Director (Administration) —Chairman (ii) Superintending Engineer —Member (iii) Administrative Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 23/16/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 129.—विक्टोरिया मेमोरियल (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 की धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि प्रो. बरुण डे, 55/2, बालीगंज सरकुलर रोड, कोलकाता-700019 की, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के न्यासी बोर्ड से दिनांक 20-3-2010 से सदस्यता समाप्त हो गई है ।

[फा. सं. 16-12/2010-एम-II]

एस. के. शर्मा, अवर सचिव